[2024] 12 एस.सी.आर. 769 : 2024 आई.एन.एस.सी 974

जॉर्ज

बनाम

तमिलनाडु राज्य और अन्य

(2024 की आपराधिक अपील सं. 5279)

13 दिसंबर, 2024

[बी.आर. गवई* और के.वी. विश्वनाथन, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलकर्ता-मूल अभियुक्त सं. 1 को दोषी ठहराने में गलती की, जबकि उसी अ. सा.-1 के साक्ष्य के आधार पर, अभियुक्त सं. 2 और 3 को संदेह का लाभ दिया गया था।

हेडनोट्स

भारतीय दंड विधान, 1860 – धारा 294(ख), 341, 506(ii) और 302 – अभियोजन का मामला यह है कि सूचक के बेटे को दो अभियुक्त व्यक्तियों ने पकड़ लिया जब वह उनके हमले से बचने की कोशिश कर रहा था, अपीलकर्ता ने चाकू से उसकी गर्दन के बाईं ओर जबरदस्ती वार किया – सूचक के बेटे को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया – इसलिए, अ. सा.-1 द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्राथमिकी) – विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभियोजन ने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराने और सजा सुनाने के लिए आगे बढ़ा – उच्च न्यायालय ने दो अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया, हालाँकि, अपीलकर्ता को धारा 506(ii) भा.दं.वि. के तहत बरी कर दिया गया और धारा 294(ख), 341, और 302 भा.दं.वि. के तहत उसकी दोषसिद्धि को बनाए रखा गया – शुद्धता:

अभिधारित: जबकि अभियुक्त सं. 2 और 3 के संबंध में अ. सा.-1 की गवाही को

अविश्वसनीय मानते हुए, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि घटना चर्च से 300 मीटर दूर हुई थी और इससे पीडब्लू-1 को वास्तव में उस प्रत्यक्ष कृत्य का प्रत्यक्षदर्शी होने का अवसर नहीं मिल सकता था, जिसका आरोप अभियुक्त सं. 2 और 3 पर लगाया गया है। – हालाँकि, इसी स्पष्ट कार्रवाई में शामिल अपीलकर्ता को अ. सा.-1 की उसी गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया है – इस तत्काल मामले में, अ. सा.-1 मृतक का पिता है और एक रुचि रखने वाला गवाह है – इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल इसलिए कि कोई गवाह एक रुचि रखने वाला गवाह है, यह ऐसे गवाह की गवाही को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है – हालांकि, ऐसे गवाह की गवाही की अधिक सावधानी और विवेक के साथ जांच की जानी है – जब उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह विश्वास करना कठिन है कि अ. सा.-1 घटना को उस तरह से देख सका होगा जैसा कि उसके द्वारा सुनाया गया है और अभियुक्त सं. 2 और 3 को संदेह का लाभ दिया गया है, तो केवल अटकलों और कयासों के आधार पर उसी गवाह के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सं. 1 की दोषसिद्धि अनुमेय नहीं है – जहां तक चाकू की जब्ती का संबंध है, अ. सा.-18 की गवाही से पता चलता है कि उगाही एक खुले स्थान से की गई थी जो सभी के लिए सुलभ था – इस न्यायालय की सुविचारित राय में, केवल ऐसी उगाही की परिस्थिति के आधार पर, दोषसिद्धि आधारित नहीं हो सकती थी – इसलिए, अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। [कंडिका 12, 13, 14, 15, 17(iii)]

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड विधान, 1860।

मुख्य शब्दों की सूची

हत्या; उसी गवाह के आधार पर अभियुक्तों की दोषमुक्ति और अन्य अभियुक्तों की दोषसिद्धि; संदेह का लाभ; रुचि रखने वाला गवाह; अटकलों और कयासों का आधार; एक में असत्य,

सब में असत्य (फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओम्निबस); एकमात्र गवाही।

प्रकरण से उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 5279/2024

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के दिनांक 01.11.2019 के निर्णय और आदेश से आपराधिक विविध वाद संख्या 479/2017 में।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

एस. नागमूथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री डी. दुर्गा देवी, प्रणब प्रकाश, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए।

एन.आर. इलांगो, वरिष्ठ अधिवक्ता, सबरीश सुब्रमण्यम, विष्णु उन्नीकृष्णन, सी. क्रांति कुमार, दानिश सैफी, वी.एम. ईश्वर, सुश्री अश्विनी सतीश, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति।

1. छुट्टी दी गई।

2. वर्तमान अपील मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या 479/2017 में दिनांक 1 नवंबर 2019 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जिसके द्वारा तूतीकुड़ी के प्रथम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की फाइल पर सत्र मामला सं. 83/2016 में दिनांक 17 नवंबर 2017 के निर्णय और आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील को *आंशिक रूप से अनुमति* दी गई थी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भारतीय दंड विधान, 1860 (संक्षेप में, 'भा.दं.वि.') की धारा 294(ख), 341 और 302 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में अपीलकर्ता के संबंध में दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा, लेकिन उसे धारा 506(ii) भा.दं.वि. के तहत आरोप से बरी कर दिया गया।

3. वर्तमान अपील के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक तथ्य नीचे दिए गए अनुसार हैं:

3.1 वर्तमान मामले की शुरुआत 16 मई 2015 को थाना सथानकुलम, जिला थूथुकुडी में श्री कोविलराज (अ. सा.-1) द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन सं. 224/2015 दर्ज होने से हुई। उक्त थाना को दोपहर 2:30 बजे लिखित सूचना प्राप्त हुई जिसमें अपीलकर्ता, राजरथिनम और अल्बर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 294(बी), 342, 302 और 506(ii) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था। अ. सा.-1 ने कहा है कि वह अनंतपुरम स्थित इमैनुएल चर्च में एक चर्च सदस्य और गायक मंडली का प्रमुख है। उसने कहा कि वह धर्मप्रांत चुनाव में अर्पुथराज के पक्ष में था, जिसके कारण अपीलकर्ता, जो पुष्पराज के प्रतिद्वंद्वी गुट का समर्थन करता था, का घटना के दिन से लगभग एक वर्ष पहले उसके बेटे (प्रवीण कुमार) के साथ वाकयुद्ध हुआ था। बताया गया है कि सूचक (अ. सा.-1), उसकी पत्नी चंद्रा और उसका पुत्र 15 मई 2015 को एक अभिषेक उत्सव के लिए अनंतपुरम गए थे। 15-16 मई 2015 की मध्यरात्रि में, लगभग 00:30 बजे, जब सूचक का बेटा चर्च के सामने खड़ा था और अपने दोस्तों प्रवीण इमैनुअल (अ. सा.-2), मेल्विन अब्राहम (जांच नहीं की गई) और गेरोम (जांच नहीं की गई) के साथ बातचीत कर रहा था, तो तीनों अभियुक्त व्यक्ति आए और सूचक के बेटे को गंदी भाषा में गाली दी और उससे पूछाकि चुनाव में उनके खिलाफ काम करने के बाद, वह त्योहार में कैसे आकर भाग ले सकता है। यह कहा गया है कि सूचक के बेटे ने जवाब दिया था कि उन्हें उससे पूछने का कोई अधिकार नहीं है। इसके तुरंत बाद, अपीलकर्ता ने एक चाकू निकाला, जिसे उसने अपनी कमर (जेब) में छिपा रखा था, जिसके बाद, सूचक का बेटा दौड़ गया। सूचक के बेटे का तीनों ने पीछा किया, हालांकि, उसे अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा पकड़ा गया था। यह आरोप है कि जबकि अन्य दो अभियुक्त व्यक्तियों ने सूचक के बेटे को पकड़ रखा था, अपीलकर्ता ने चाकू से उसकी गर्दन के बाईं ओर जबरदस्ती वार किया। सूचक के बेटे

को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसलिए, अ. सा.-1 द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्राथमिकी)।

3.2 प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्राथमिकी) के पंजीकरण पर, जांच विजया कुमार (पुलिस निरीक्षक) (अ. सा.-19) द्वारा संभाल ली गई। अ. सा.-19 अपराध के दृश्य पर गए, उन्होंने अवलोकन पंचनामा (प्रदर्श पी-18) और एक मोटा नक्शा (प्रदर्श पी-19) तैयार किया और गवाहों की उपस्थिति में भौतिक वस्तुओं (एम.ओ.-12 और एम.ओ.-13) को भी बरामद किया। वह, उसके बाद, अस्पताल गए और जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-21) तैयार किया। अपीलकर्ता की स्वीकारोक्ति के आधार पर, *चाकू* (एम.ओ.-1) नगरजन, पुलिस निरीक्षक (अ. सा.-18) द्वारा बरामद किया गया था, जिसने थोड़ी अवधि के लिए अ. सा.-19 की अनुपस्थिति में जांच का हिस्सा संभाल लिया था। सभी गवाहों के बयानों को अ. सा.-19 द्वारा दर्ज किया गया था और जांच पूरी होने के बाद, दिनांक 17 अगस्त 2015 को, अंतिम प्रतिवेदन न्यायिक दंडाधिकारी, साथंकुलम के समक्ष दायर किया गया था।

3.3 चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसे विचारण न्यायालय को सौंपा गया था। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए। अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को उजागर करने के लिए, अभियोजन ने 19 गवाहों की परीक्षा की, 23 दस्तावेजों और 13 भौतिक वस्तुओं को चिह्नित किया। बचाव की ओर से किसी गवाह की परीक्षा नहीं की गई और कोई दस्तावेज चिह्नित नहीं किया गया। विचारण न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, दिनांक 17 नवंबर 2017 के निर्णय और आदेश द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभियोजन ने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराने और सजा सुनाने के लिए आगे बढ़ा। जहां तक अपीलकर्ता

का संबंध है, विचारण न्यायालय ने माना कि वह भा.दं.वि. की धारा 294(ख), 341, 302 और 506(2) के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी है और उसे धारा 294(ख) भा.दं.वि. के तहत अपराध के लिए तीन महीने के साधारण कारावास, धारा 341 भा.दं.वि. के तहत अपराध के लिए एक महीने के साधारण कारावास और धारा 302 भा.दं.वि. के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास और 50,000/- रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया, जिसके चूकने पर दो साल के साधारण कारावास से गुजरना होगा और धारा 506(ii) भा.दं.वि. के तहत अपराध के लिए दो साल के साधारण कारावास से गुजरना होगा।

3.4 इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता सहित अभियुक्त व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की। आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के संबंध में अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी। धारा 294(ख), 341 और 302 भा.दं.वि. के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 506(ii) भा.दं.वि. के तहत आरोप से बरी कर दिया। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की।

4. हमने अपीलकर्ता की ओर से पेश हो रहे श्री एस. नागमूथु, वरिष्ठ अधिवक्ता और तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश हो रहे श्री एन.आर. इलांगो, वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना है।

5. अपीलकर्ता की ओर से पेश हो रहे श्री नागमूथु, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने अपीलकर्ता – मूल अभियुक्त सं. 1 को दोषी ठहराने में घोर त्रुटि की है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि, कोविलराज (अ. सा.-1) के उसी साक्ष्य के आधार पर, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने अभियुक्त सं. 2 और 3 के संबंध में कोविलराज (अ. सा.-1) की गवाही को अविश्वसनीय माना है। हालांकि, उसी साक्ष्य के आधार पर, अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि, केवल इस

छोटे आधार पर, अपील अनुमति दिए जाने योग्य है।

6. राज्य की ओर से पेश हो रहे श्री इलांगो, वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस बात को प्रस्तुत करते हुए अपील का विरोध किया है कि तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के दृष्टिकोण में, वर्तमान अपील में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

7. पक्षों की सहायता से, हमने अभिलेख पर रखी गई सामग्री की जांच की है।

8. अपीलकर्ता की ओर से पेश हो रहे श्री नागमूथु, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार, दोषसिद्धि केवल कोविलराज (अ. सा.-1) की गवाही पर आधारित है। कोविलराज (अ. सा.-1), अपने साक्ष्य में, कहा कि घटना से एक साल पहले इमैनुअल चर्च अभिषेक के दौरान, अभियुक्त सं. 1, अर्थात्, अपीलकर्ता ने उसके बेटे (मृतक) को पीटा था। उसने कहा कि उसके गाँव में समझौते से मामला सुलझ गया था, उसके बाद, कोई मामला नहीं था। यह कहा गया है कि दिनांक 15 मई 2015 को शाम को 05:00 बजे, वह अपनी पत्नी चंद्रा और अपने बेटे (प्रवीण कुमार) के साथ नाजरथ से आनंदपुरम गया था। उसने कहा कि लगभग 500 व्यक्तियों ने अभिषेक प्रार्थना में भाग लिया था जो शाम को लगभग 06:30 बजे शुरू हुई और रात को 09:00 बजे तक चली थी। उसके बाद, चर्च में, एक संयुक्त दावत थी जिसमें उसने और उसके परिवार ने भी भाग लिया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि, सुबह 03:00 बजे की प्रार्थना में भाग लेने के लिए, वे सभी चर्च में ठहरे थे। उसने कहा कि, आधी रात में 12:30 बजे, उसका बेटा (मृतक) बाहर चला गया। उसने अपने बेटे (मृतक) को अपने दोस्तों, अर्थात् मेल्विन अब्राहम, प्रवीण इमैनुअल और गेरोम के साथ खड़ा और बात करते हुए देखा। उस समय, अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके बेटे (मृतक) को गालियाँ दीं। उसने कहा कि अपीलकर्ता ने उसके बेटे (मृतक) को चाकू से धमकाया और मृतक पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि, उसका बेटा (मृतक) बच निकलने के कारण भाग गया और सीधे मुख्य सड़क पर दौड़ गया। उसने कहा कि अभियुक्त व्यक्ति भी उसके बेटे (मृतक) के पीछे दौड़े। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी पत्नी और अपने बेटे (मृतक) के दोस्तों के साथ भी उनके

पीछे दौड़ा। उसने कहा कि अभियुक्त सं. 2 और 3 ने उसके बेटे (मृतक) को उसके हाथों से पकड़ लिया जबकि अपीलकर्ता ने चाकू से उस पर हमला किया। उसका बेटा (मृतक) जमीन पर गिर गया। उसके बाद, उसके बेटे (मृतक) को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।

9. उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 2 और 3 के संबंध में कोविलराज (अ. सा.-1) के साक्ष्य को अविश्वसनीय पाया है और इसलिए उन्हें दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं पाया और उन्हें संदेह का लाभ दिया। उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया है कि अभियुक्त सं. 2 और 3 के संबंध में कोविलराज (अ. सा.-1) का साक्ष्य अस्वाभाविक लगता है। उच्च न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया है कि, चूंकि घटना चर्च से लगभग 300 मीटर दूर हुई थी, यह विश्वास करना कठिन है कि कोविलराज (अ. सा.-1) वास्तव में अभियुक्त सं. 2 और 3 की कार्रवाई को देख सका होगा। हालांकि, अजीब बात यह है कि, उच्च न्यायालय ने कोविलराज (अ. सा.-1) के उसी साक्ष्य के आधार पर, इसे अपीलकर्ता के संबंध में विश्वास किया है और उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि की है।

10. आक्षेपित निर्णय की कंडिका 21 में, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने अवलोकन किया है कि प्राकृतिक घटनाओं के दौरान, अपीलकर्ता (अभियुक्त सं. 1) के अलावा, किसी और ने मृतक को चोट नहीं पहुंचाई होगी। हमारी सुविचारित राय में, उक्त निष्कर्ष पूरी तरह से अटकलों और कयासों पर आधारित है।

11. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक गवाह की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि आधारित हो सकती है। समान रूप से सिद्धांत कि एक में असत्य, सब में असत्य (फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओम्निबस) भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र में लागू नहीं है। हालांकि, वर्तमान मामले में, उसी गवाह (अ. सा.-1) की एकमात्र गवाही के आधार पर, अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है और उसी घटना में शामिल अन्य दो अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया है।

12. इसके अलावा, कंडिका 23 में, अभियुक्त सं. 2 और 3 के संबंध में अ. सा.-1 की गवाही को अविश्वसनीय मानते हुए, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि घटना चर्च से 300 मीटर दूर हुई थी और वह अ. सा.-1 को वास्तव में अभियुक्त सं. 2 और 3 की कार्रवाई को देखने में सक्षम नहीं था। हालांकि, उसी स्पष्ट कार्रवाई में शामिल अपीलकर्ता को अ. सा.-1 की उसी गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया है।

13. आगे यह ध्यान दिया जाना है कि, वर्तमान मामले में, कोविलराज (अ. सा.-1) मृतक का पिता है और एक रुचि रखने वाला गवाह है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल इसलिए कि कोई गवाह एक रुचि रखने वाला गवाह है, यह ऐसे गवाह की गवाही को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। हालांकि, ऐसे गवाह की गवाही की अधिक सावधानी और विवेक के साथ जांच की जानी है।

14. वर्तमान मामले में, जब उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह विश्वास करना कठिन है कि कोविलराज (अ. सा.-1) घटना को उस तरह से देख सका होगा जैसा कि उसके द्वारा सुनाया गया है और अभियुक्त सं. 2 और 3 को संदेह का लाभ दिया गया है, तो केवल अटकलों और कयासों के आधार पर उसी गवाह के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सं. 1 की दोषसिद्धि, हमारी राय में, अनुमेय नहीं है।

15. जहां तक पुलिस निरीक्षक के साक्ष्य से पाए जा सकने वाले चाकू की जब्ती के संबंध में अन्य परिस्थिति का संबंध है, अ. सा.-18 की गवाही से पता चलता है कि उगाही एक खुले स्थान से की गई थी जो सभी के लिए सुलभ था। इस तरह, हमारा सुविचारित राय है कि केवल ऐसी उगाही की परिस्थिति के आधार पर, दोषसिद्धि आधारित नहीं हो सकती थी।

16. इसलिए, हमारा सुविचारित विचार है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 2 और 3 को संदेह का लाभ देते हुए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में घोर त्रुटि की है।

17. नतीजतन, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:

(i) अपील स्वीकार की जाती है;

(ii) उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 1 नवंबर 2019 को अपास्त और दरकिनार किया जाता है; और

(iii) अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है यदि वह किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं है।

18. लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हो, तो उनका निपटान हो जाएगा।

मामले का परिणाम: अपील अनुमत।

हेडनोट्स तैयार किए गए: अंकित ज्ञान

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।